अति—आवश्यक

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

✆ : 0141-2385027(O) E-Mail ID: rajpr.dsplan@rajasthan.gov.in

क्रमांकः F4 ( ) PRD/ DP/ GPDP/ 2019-20/ 1015 जयपुर, दिनांकः 30.10.2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद— समस्त।

विषयः—जन योजना अभियान—GPDP (2 अक्टूबर, से 31 दिसम्बर, 2018) के क्रम में दिनांक 29.10.2018 को आयोजित विडियों कान्फ्रेंस में दिये गये निर्देशों की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जन योजना अभियान—GPDP (2 अक्टूबर, से 31 दिसम्बर, 2018) के क्रम में दिनांक 29.10.2018 को अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित विडियों कान्फ्रेंस के क्रम में निम्न निर्देश दिये गये हैः—

1. राज्य में मिशन अन्त्योदय के तहत अब तक सर्वें की प्रगति मात्र 54 प्रतिशत है जिसको बढाकर एक सप्ताह में शत—प्रतिशत किया जावें।
2. जिन ग्राम पंचायतों में जन योजना अभियान—GPDP के तहत अभी तक सहजकर्ता (Facilitator) नियुक्त नही किये गये हैं, उनमें शीघ्र सहजकर्ता नियुक्त किये जावें।
3. जन योजना अभियान के तहत शत—प्रतिशत ग्राम सभाएं आयोजित की जावें।
4. ग्राम सभाओं एवं सार्वजनिक सूचना पट्ट के फोटो GPDP पोर्टल पर अपलोड करवाये जावें।
5. परिसम्पत्तियों के जीओ टेंगिग करवाये जावें।
6. लाईन विभागों के फ्रंट लाईन कार्यकर्ता आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में भाग लेंगे एवं उनके विभागों से सम्बन्धित कार्यो पर चर्चा उपरांत, उन्हें GPDP योजना में शामिल करवायेंगे।

उक्त निर्देशों की तत्काल पालना कर, GPDP पोर्टल पर वांछित सूचनाएं दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त शासन सचिव
(जिला आयोजना)

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
3. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला आयोजना प्रकोष्ठ—समस्त।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति—समस्त।

संयुक्त शासन सचिव
(जिला आयोजना)